

नवभारत

Mon, 05 Jun-17; Navbharat - Mumbai; Size : 229 sq.cm.; Page : 7

हाउसिंग सेक्टर की बदलती तस्वीर

मोटी सरकार के 3 साल



सुधाकर रवि

सरकार की 'सभी के लिए आवास' योजना एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐलान है जो भारत में हाउसिंग क्षेत्र की मांग में तेजी लाने में अहम भूमिका अदा करेगा। इस योजना का लक्ष्य 90 फीसदी भारतीय आबादी को लाभ पहुंचाना है जिनमें निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग शामिल हैं। इस 'सभी के लिए आवास' योजना का लक्ष्य, प्रधानमंत्री आवास योजना और क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम के जरिये ब्याज दरों में 3 से 5 फीसदी राहत देकर और सर्ते आवास के कायर्क्रम को आधारभूत ढांचे का दर्जा देकर इस क्षेत्र में फंडिंग और सलाई की कमी को दूर करना है।

एशियाई देशों के 20 फीसदी और अमेरिका के 52 फीसदी के मुकाबले भारत की जीडीपी में मोर्चे का हिस्सा महज 9 फीसदी है। लिहाजा अब सरकार पालिसी के जरिये इस प्रतिशत में सुधार की कोशिश कर रही है, जिसके तहत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिये ब्याज दरों में राहत देकर लोगों को पूँजीगत सहयोग दे रही है। इसके अलावा डेट म्यूचूअल फाइड को हाउसिंग फायरेंस कंपनियों में 40 प्रतिशत निवेश की इजाजत देकर और 'एए' रेटिंग वाली हाउसिंग फायरेंस कंपनियों को फायरेंसल व इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश के लिए सेक्टर वाइस कैप से बाहर रखने जैसे रेजुलेटरी सहयोग हाउसिंग फायरेंस कंपनियों को दे रही है। इसके साथ ही साथ सरकार सहयोगी आधारभूत ढांचे के विकास पर भी काम कर रही है जो कि बड़े शहरी केंद्र के पास छोटे बड़े शहरी केंद्र के विकास को इस लागू कर सरकार रियल स्टेट लेन देन में और अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहती है और इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय जबाबदेही लाना चाहती है। ये तथ्य है कि इस से उपयोक्ताओं का आन्विषास बढ़ा और नए लोग बाजारों और आसपास के इलाके के विकास को प्रोत्त्वानन दिलेगा। बड़े बड़े शहरों में ये आधारभूत ढांचे के विकास की परियोजनाएं हाउसिंग क्षेत्र में तेजी लाएंगी जिससे हाउसिंग फायरेंस कंपनियों के लिए मौके बढ़ेंगे।

CLSS : सब्सिडी में बढ़ोतरी

जहां सभी योजनाएं सभी के लिए आवास की दिशा में काम कर रही हैं वहीं एक फायरेंसर की निगह से क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम (CLSS) में हाल ही के एक बजट में प्राप्त का दायरा 6 लाख सालाना आय से बढ़ाकर 18 लाख सालाना कर दिया गया है जिससे शहरी और मध्य आय वर्ग का एक बड़ा तबका इस योजना का अब लाभ ले सकता है। इस योजना में आय का दायरा 18 लाख होने से योग्य आवेदकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। गरीब और बेघर लोगों को सम्पन्नत लाने के लिए हाउसिंग फायरेंस कंपनियों के रेजुलेटर यानी नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से हाउसिंग फायरेंस कंपनियों और राज्य को ऑपरेटिव बैंकों को स्थायी तौर पर रिफायरेंसिंग उपलब्ध कराइ जा रही है। इन योजनाओं के जरिये हाउसिंग फायरेंस कंपनियां रेजुलेटर से सस्ती दरों पर फंडिंग लेकर लागत के आधार पर तय दरों पर कर्ज दे सकती हैं।

आधारभूत ढांचे का विकास

इसे लागू कर सरकार रियल स्टेट लेन देन में और अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहती है और इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय जबाबदेही लाना चाहती है। ये तथ्य है कि इस से उपयोक्ताओं का आन्विषास बढ़ा और नए लोग बाजारों 'रेस' से जुड़ेंगे। इस क्षेत्र से जुड़ेंगे। कि ये अन्य आवासीय परियोजनाओं में फंड हस्तान्तरित करने और या जमीन खरीद पर रोक लगाकर आवासीय परियोजनाओं की फंडिंग में पारदर्शिता लाएगा।

(लेखक रिलायंस होम फाइनेंस के सीईओ हैं।)